भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4884

दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

चोरी किए गए वाहन हेतु प्रक्रिया

4884. श्री रमेशभाई एल. धडुकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक आम आदमी, जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, को पुलिस द्वारा उसकी मोटरसाइकिल का पता लगाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल वापस लेने के लिए एक लंबी पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आम आदमी को उक्त प्रक्रिया में काफी धन और समय खर्च करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो आम आदमी के लिए उक्त प्रक्रिया को छोटा और सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 में जांच अथवा विचारण के लिए लंबित संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया है। जहां भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, वहीं 'दंड विधि और दंड प्रक्रिया' समवर्ती सूची में आते हैं। दंड विधि के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीआरपीसी में संशोधन करने के लिए भी सक्षम हैं।

******